

दिनांक 15-04-2021

आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील अप्रार्थी जबाब के लिये समय चाहते हैं। अंतिम मौका दिया जाता है। पत्रावली वास्ते जबाब दिनांक 16-04-2021 को पेश हो।

उपस्युद्ध अधिकारी
महवा (दौसा)

दिनांक 16-04-2021

आज पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण व उनके वकील को बार बार आवाज दिलाई गयी किन्तु कोई भी उपस्थित नहीं है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रति गंभीर नहीं है तथा प्रार्थना पत्र को चलाना नहीं चाहते हैं।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। प्रार्थीगण के पक्ष में जारी अन्त. अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 10-05-2018 निरस्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर शामिल मूल वाद रहे।

आदेश सुनाया गया।

उपस्युद्ध अधिकारी
महवा (दौसा)